

न्यायालय उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

अनुमति वाद संख्या- 06/2021

दशरथ पासवान एवं अन्य (विक्रेता)

बनाम्

अंजू कुमारी (क्रेता)

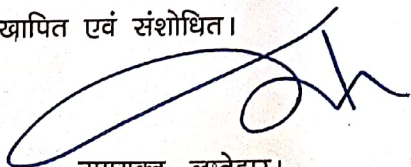
आदेश

प्रस्तुत वाद दशरथ पासवान व बिरेंद्र पासवान व रविन्द्र मांझी, पिता- स्व० मुनारिक पासवान, ग्राम- मनिका, थाना- मनिका, जिला- लातेहार द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा-46(1) (बी) के अंतर्गत क्रेता अंजू कुमारी, पति- विजय कुमार रवि, ग्राम- कुई, थाना- मनिका, जिला- लातेहार के साथ मौजा- मनिका, खाता संख्या-195, प्लॉट संख्या- 2088 रकबा- 7.43 डी० भूमि बिक्री हेतु अनुमति के लिए दिये गये आवेदन पर वाद की कार्यवाही प्रारंभ किया गया। अनुमति के लिए विक्रेता द्वारा आवेदन में बिक्री से संबंधित प्रस्तावित भूमि का जांच प्रतिवेदन की मांग अंचल अधिकारी, मनिका से की गयी।

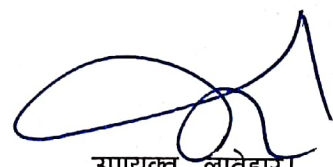
अंचल अधिकारी, मनिका के पत्रांक- 180 दिनांक 18.07.2021 से अनुमति से संबंधित भूमि का जांच प्रतिवेदन प्राप्त है, जिसका अवलोकन किया। अंचल अधिकारी ने प्रतिवेदित किया है कि विक्रेता दुसाध एवं क्रेता चमार जाति के सदस्य हैं तथा दोनों एक ही जिला क्षेत्र के निवासी हैं। दोनों अनुसूचित जाति दम्पति के उत्पन्न संतान हैं। आवेदक को अपनी बेटी की शादी के लिए रुपये की सख्त आवश्यकता है, जिसका बन्दोबस्त बिना जमीन बिक्री के हो पाना संभव नहीं है। बिक्री की जानेवाली भूमि विक्रेता का रैयती भूमि है तथा जमाबन्दी विक्रेता बासुदेव मांझी वगैरह के नाम से चलता है। अंचलाधिकारी के प्रतिवेदन के अनुसार आवेदक द्वारा धारित भूमि का रकबा- 2.18 एकड़ है, जिसमें से आवेदक रकबा- 7.43 (सात दशमलव तैतालीस) डी० भूमि क्रेता अंजू कुमारी के साथ बिक्री करना चाहते हैं। आवेदक द्वारा अनुमति के लिए प्रस्तावित भूमि के बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास रकबा-2.10-57 एकड़ भूमि शेष बचता है। अंचल अधिकारी, मनिका के प्रतिवेदन के अनुसार अनुमति हेतु प्रस्तावित भूमि विक्रेता का रैयती भूमि है। आवेदक द्वारा बिक्री हेतु अनुमति के लिए प्रस्तावित भूमि का आम इस्तेहार निर्गत किया गया, जिसके विरुद्ध किसी व्यक्ति द्वारा आपत्ति आवेदन नहीं दिया गया है। साथ ही अंचल अधिकारी, मनिका द्वारा जांच प्रतिवेदन में भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए अनुशंसा किया गया है।

अतः अंचल अधिकारी, मनिका के अनुशंसा के आधार पर विक्रेता दशरथ पासवान व बिरेंद्र पासवान व रविन्द्र मांझी, पिता- स्व० मुनारिक पासवान, ग्राम- मनिका, थाना- मनिका, जिला- लातेहार द्वारा मौजा- मनिका, खाता संख्या-195, प्लॉट संख्या- 2088 रकबा- 7.43 डी० भूमि का क्रेता अंजू कुमारी, पति- विजय कुमार रवि, ग्राम- कुई, थाना- मनिका, जिला- लातेहार के साथ छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा-46(1) (बी) के अंतर्गत बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।



उपायुक्त, लातेहार।



उपायुक्त, लातेहार।